ICAI/012/CP&GFM/TP – RLB

आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय / महोदया,
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार

विषय: राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का प्रस्ताव

भारत का आर्थिक विकास मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है क्योंकि भारत दो तिहाई ग्रामीण आबादी वाला देश है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकार सौंपकर उन्हें सशक्त बनाया। RLB को हस्तांतरित की जा रही निधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक व्यय की प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली का होना आवश्यक है, जो व्यय से सृजित संपत्ति और योजना से लेकर गतिविधि के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। XV वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अलेखापरीक्षित वार्षिक खातों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता की सिफारिश की है। जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, **राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों द्वारा खातों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, 40% असंबद्ध अनुदान से वहन किया जा सकता है।**

ICAI की भूमिका:

ICAI अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। ICAI भारत में RLB सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं/ विभागों में चल रहे लेखांकन सुधारों और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार में भी शामिल है। ICAI की देश के tier I और II शहरों में 160 से अधिक शाखाएं हैं।

CP&GFM के माध्यम से ICAI विभिन्न कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके, लेखांकन सुधारों के लाभों के बारे में बड़े पैमाने पर संबंधित अधिकारियों और समाज को संवेदनशील बनाने में भी शामिल है। इस दिशा में विकसित व्याख्यान https://icaitv.com/category.php?cat_id=22 पर उपलब्ध हैं।

चूंकि सरकार के अनुदान को RLB में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार से जोड़ा गया है, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (आभासी या भौतिक) के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस दिशा में CP&GFM, ICAI **ग्रामीण भारत/पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 'ग्रामीण स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग' के संदर्भ में RLB कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है।**

इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विशेष रूप से संरचित किया जाएगा ताकि प्रतिभागियों को लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में अपने ज्ञान को - बेहतर करने, ई-वातावरण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान किया जा सके (PRIASoft/ e-Gram Swaraj, Audit online)। इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों/ RLB के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं।

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | Fax: (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | Website: http://www.icai.org

संलग्न अनुलग्नक को विस्तृत प्रस्ताव के लिए संदर्भित किया जा सकता है। कर्मचारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संरचना को पारस्परिक रूप से अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम/वेबिनार जिला और ब्लॉक पंचायतों के स्तर पर या क्षेत्रीय भाषा में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

विभिन्न राज्यों में यह देखा गया है कि पंचायतों में अनिवार्य डेटा प्रविष्टि/रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है। ICAI इसके द्वारा प्रस्ताव करता है कि पंचायतें वित्तीय साक्षरता, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में आपकी यात्रा में योगदान करने के लिए डेटा प्रविष्टि आदि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट/फर्मों को नियुक्त करने पर विचार कर सकती हैं।

हमें उम्मीद है कि यह पहल RLB में मजबूत और पारदर्शी लेखा ढांचे के लिए एक गुणवत्ता संरचना स्थापित करने में मदद करेगी।

हमें इस संबंध में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से स्थानीय निकायों और समाज को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

धन्यवाद।

सादर,

सीए केमिशा सोनी
अध्यक्ष

सीए श्रीधर मुप्पला,
उपाध्यक्ष

सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति

सचिवालय: 0120-3045985
ई-मेल: cpf.aslb@icai.in; cpf_ga@icai.in

संलग्नक: ऊपरोक्त अनुसार

"ICAI Bhawan", Indraprastha Marg,
Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002. India
Phone: (+91) (011) 3989 3989 | **Fax:** (+91) (011) 3011 0581
Email: icaiho@icai.org | **Website:** http://www.icai.org